न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

पैरोल अपील संख्या 01/2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
मेघाराम पुत्र सूजाराम भील निवासी– फुसाणियों की ढाणी, मानासर पुलिस थाना, फलसूण्ड, जिला जैसलमेर		1. राज0 सरकार जरिये अधीक्षक, केन्द्रिय कारागृह, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 18 राजस्थान प्रिजन्र्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 विरूद्ध आदेश 03.01.2024 जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के पैरोल आवेदन को अस्वीकार किया गया

उपस्थितिः–

1. **रेस्पोडेन्ट की ओर से उप कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर उपस्थित**

निर्णय

दिनांक 06 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर के समक्ष अपने को समाज में पुनःस्थापन हेतु राज्य के पैरोल नियम 2021 के तहत प्रथम 20 दिवस पैरोल स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया तथा आवेदन में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में 10 वर्ष की कारावास की सजा अवधि में से 05 वर्ष 06 माह 16 दिवस की अवधि को सदआचरण के साथ भुगत ली जाने के आधार पर प्रथम पैरोल की पात्रता अर्जन कर लिये जाने पर 20 दिवस पैरोल स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट/बंदी के उक्त आवेदन को जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर की बैठक दिनांक 15.12.2023 में रखा गया। उक्त बैठक में अपीलान्ट के पैरोल आवेदन बाबत जिला कलेक्टर, जैसलमेर, जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, समाज कल्याण विभाग एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से टिप्पणी/अनुशंषा चाही गई। जिस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर समाज कल्याण विभाग द्वारा पैरोल पर रिहा किये जाने तथा जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर एवं जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा पैरोल पर रिहा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं करने की अनुशंषा किये जाने पर अपीलान्ट/बंदी के प्रकरण पर जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर द्वारा अपीलान्ट के उक्त आवेदन को दिनांक 03.01.2024 को अस्वीकार कर दिया गया। जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के मार्फत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषितं की है।

जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर तथा जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट/बंदी को पैरोल पर रिहा करने से बंदी मेघाराम द्वारा गंभीर व घृणित अपराध कारित के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने व पीड़िता व पीड़िता के पिता को जानमाल से खतरा होना बताया व पैरोल पर रिहा करने की अनुशंषा नहीं की है।

अपील प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर गहनता से परीक्षण किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील का एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी इत्यादि का अवलोकन किया। अपीलान्ट बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो कैसेज, जैसलमेर द्वारा धारा 366 क, 376(2) (1) भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में अपने को पैरोल पर रिहा किये जाने हेतु कोई विशेष कारण अथवा विशेष परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उसे पैरोल पर रिहा किया जाना आवश्यक हो। अपीलान्ट बंदी को दी गई सजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की ओर से प्रेषित रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट बंदी के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2024 को सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर